

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)

के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout
Madivala, Bengaluru - 560 068

No: CSB/29/GPF/CIR/2004-05/PF

Date: 06.01.2022

To

All the Units of Central Silk Board,

Sir/Madam,

Sub: Remittance of GPF Subscriptions/advance recoveries for the year 2021-22-reg.

I am to invite a reference to the subject cited above and to request you to arrange remittance of the GPF recoveries by NEFT/RTGS/CORE and forward PRS daily back up file i e., PRS TEXT/LDAT, ZIP file for the month of February 2022 immediately not later than 05/03/2022 by email to facilitate posting of the credits in the ledger before closing of GPF accounts and the calculation of interest due for the year 2021-22. If the schedules along with the subscription amount are not received in Central Office before the **FIRST WEEK OF MARCH 2022** the subscription amount will not be credited to the subscribers account in the current Financial year resulting in loss of interest to the subscriber, for which the concerned units-in-charge are only responsible, which may please be noted.

This may kindly be treated as **MOST URGENT**.

Yours faithfully


(DR.NARENDAR REBELLY,IRS)
DIRECTOR (FINANCE)



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय Ministry of Textiles, भारत सरकार Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बीटीएम लेआउट, मडिवाला, बेंगलूरु-560 068
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala, Bengaluru-560 068

सं. केरेबो-29/साभनि/परिपत्र/20004-05/पीएफ

दिनांक: 06.01.2022

सेवा में,

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सभी इकाइयां
सूची संलग्न

विषय: वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य भविष्य निधि अंशदान/अग्रिम वसूली के प्रेषण के संबंध में ।

--*-*-*-*-*

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करना है कि साभनि वसूलियों को नेफ्ट/आरटीजीएस/कोर द्वारा भेजने की व्यवस्था करें तथा माह फरवरी 2022 संबंधी पीआरएस दैनिक बैंक-अप फाइल अर्थात् पीआरएस टेक्स्ट/एलडीएटी, जिप फाइल ई-मेल द्वारा शीघ्र 05/03/2022 तक अग्रेषित करें ताकि सा भ नि खाते के समापन के पहले तथा वर्ष 2021-22 के लिए देय ब्याज के परिकलन लेजर में जमा दर्ज करने में सुविधा हो। अंशदान राशि के साथ अनुसूची यदि **मार्च, 2022 के प्रथम सप्ताह** के पहले केन्द्रीय कार्यालय में नहीं मिलती है तो अंशदान राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए अंशदान के खाते में जमा नहीं की जाएगी, इससे अंशदाता को ब्याज की हानि होती है । इसके लिए एकक प्रभारी उत्तरदायी होंगे जिसे कृपया नोट किया जाए।

इसे अत्यावश्यक माना जाएं ।

भवदीय,

(डॉ.नरेन्द्र रेबेल्ली, आई आर एस)

निदेशक (वित्त)